में निहित होना नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त सह–खातेदारी भूमि है अतः किसी विशिष्ट भू–भाग पर सायल को सुविधा का संतुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः यह बिन्दू सायल के विरुद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनो बिंदू सायल के विरुद्ध साबित हुए है। साथ ही अविभाजित शामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः किसी भी सह–खातेदार को कानूनन विभाजन से पूर्व भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर एकमेव अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। सायल यह साबित करने में विफल रहे है कि अविभाजित सह–खातेदारी आराजी में यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी सायल के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायल/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायल के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)